अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

गुरविन्द कौर बनाम कपूर सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 11 सन् 2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/80

मेल क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.2024	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस अर्ज किया कि चक 35 एफ के खाता संख्या 04/04 के मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 3.161 हैक्टेयर भूमि में से 0.506 हैक्टेयर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 101/45 के मुरब्बा नम्बर 59, 66/24 की कुल 3.035 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थिया की शादी अप्रार्थी के पुत्र गुरप्रीत सिंह से हुई थी। प्रार्थिया व गुरप्रीत सिंह की शादी के बाद कोई संतान पैदा नहीं हुई। प्रार्थिया के पति गुरप्रीत सिंह का देहान्त दिनांक 07.01.2021 को हो चुका है। अप्रार्थी कपूर सिंह के कुल पांच वारिस है, और मृतक गुरप्रीत सिंह के कुल 1 वारिस है। अप्रार्थी के नाम दर्ज उक्त भूमि में से प्रार्थिया अपने मृतक पति गुरप्रीत सिंह का 1/5 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। उक्त भूमि हिन्दू खानदान की पैतृक सम्पति है। अप्रार्थी उक्त भूमि को खूर्द बूर्द कर देगा। अगर अप्रार्थी ने उक्त भूमि को खूर्द-बूर्द कर दिया तो प्रार्थिया को ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। अतः अप्रार्थी के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी चक 35 एफ के खाता संख्या 04/04 के मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 3.161 हैक्टेयर भूमि में से 0.506 हैक्टेयर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 101/45 के मुरब्बा नम्बर 59, 66/24 की कुल 3.035 हैक्टेयर भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा चक 35 एफ के खाता संख्या 4/4 के मुरब्बा नम्बर 23 की 0.506 हैक्टेयर भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 29.05.1998 को खरीद की गई है व इसी चक के खाता संख्या 101/45 के मुरब्बा नम्बर 59, 64/24 की 3.035 हैक्टेयर भूमि मुझ अप्रार्थी को अपने पिता भगवान सिंह से जरिए वसीयत प्राप्त हुई है। "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय गोविन्द भाई, छोटा भाई पटेल आदि बनाम पटेल रमन भाई, मदर भाई सिविल अपील 7528/2019 के निर्णय के मुताबिक किसी व्यक्ति को उसके पिता से वसीयत से प्राप्त भूमि उसकी स्वअर्जित भूमि मानी जाऐगी।" इस प्रकार उक्त दोनो खातो की भूमि अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि है। इसलिए उक्त भूमि में प्रार्थिया का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज फरमाया जावे। लिहाजा अप्रार्थी के नाम दर्ज वादगत भूमि जरिए बैयनामा व वसीयत से प्राप्त हुई है। लिहाजा उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थिया अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया/वादिया अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए